मुख्य समाचार :–

- इसरो आज श्रीहरिकोटा से जी.एस.एल.वी.–एफ 16 रॉकेट से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह, निसार का प्रक्षेपण करेगा।
- प्रदेश में धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने के आदेश जारी।
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में एक बार आरक्षण देने का शासनादेश निरस्त किया, हर बार मिलेगा सरकारी सेवा में आरक्षण।
- राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने दून मेडिकल कॉलेज में सफाई कार्मिकों और अस्पताल प्रशासन के साथ की बैठक।

इसरो

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन – इसरो आज सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह–निसार अंतरिक्ष में भेजेगा। यह इसरो और अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी– नासा का संयुक्त मिशन है। इसमें नासा का एल–बैंड और इसरो का एस–बैंड राडार लगा है। एक रिपोर्ट–

मास्टर प्लान आदेश

प्रमुख सचिव, आर.के सुधांशु ने पर्यटन सचिव को प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण और प्रवेश– निकास व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं जुटाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। गत 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौका मुआयना कर, स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखण्ड के प्रमुख तीर्थस्थलों पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में यह आदेश जारी किया गया है। इसमें खासकर ऐसे तीर्थ स्थलों को शामिल किया जाएगा, जहां अधिक संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। मास्टर प्लान के निर्माण और इसके क्रियान्वयन में दोनों मंडलों के मंडलायुक्तों का विशेष तौर पर सहयोग लेने के लिए कहा गया है। साथ ही स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि यदि तीर्थ स्थलों के मार्गों पर अवैध अतिक्रमण हुआ है, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में प्रति वर्ष करोड़ों तीर्थ यात्री आते हैं। इसलिए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी तीर्थ स्थलों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। तीर्थ स्थलों के आस पास जनसुविधाएं विकसित करते हुए, यात्रा को ज्यादा सुव्यवस्थित किया जाएगा।

सेना वाहन दुर्घटनाग्रस्त

चमोली जिले में बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग से आगे सोनला के पास सेना के जवानों को लेकर जा रहा एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। वाहन में 31 जवान सवार थे, जिनमें से सात घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 सेवा के माध्यम से कर्णप्रयाग उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है।

पुनर्मतदान

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को हुए मतदान में द्वाराहाट विकासखंड के गानोली स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 46 में आज पुनर्मतदान हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को गनोली मतदान केंद्र में एक बीडीसी प्रत्याशी का चुनाव चिह्न, मतपत्र से गायब था। मतदाताओं और प्रत्याशी के विरोध के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडे द्वारा चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों से मतपत्र में हुई त्रुटि की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेजी गई, जिस पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज पुनर्मतदान कराया जा रहा।

नंदादेवी राजजात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदादेवी राजजात यात्रा को उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक बताते हुए सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा में अधिक से अधिक स्थानीय लोक कलाकारों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। श्री धामी से ''मुख्यमंत्री आवास'' में नंदा देवी राजजात समिति के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुंवर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान अगले वर्ष आयोजित होने वाली मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों और प्रबंधन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के सफल और भव्य संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर इस साल के अंत तक सभी तैयारियां पूरी करने को कहा गया है।

उच्च न्यायालय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों को आरक्षण देने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। न्यायालय ने 22 मई 2020 के उस शासनादेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को केवल एक बार आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान था। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आदेश दिया कि पूर्व सैनिकों को हर बार सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि 1993 के अधिनियम में पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसमें यह उल्लेख नहीं है कि आरक्षण केवल एक बार ही मिलेगा। न्यायालय ने सुनवाई के बाद शासनादेश को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। इस फैसले से पूर्व सैनिकों को अब हर बार सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

बैठक

राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने दून मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारियों और अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की। बैठक में सफाई कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा हुई और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सफाई कर्मियों का किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पिछले टेंडर में खामियां मिलने पर उसे निरस्त कर नया टेंडर जारी करने और ठेकेदारों से सफाई कर्मियों का ईपीएफ व ईएसआई जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए टेंडर में उपनल कर्मियों को शामिल न किया जाए और सफाई कर्मियों को श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार मानदेय, ड्रेस, ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा दी जाए। अस्पताल प्रशासन को सफाई कर्मियों की समस्याएं प्राथमिकता से हल करने और हर तीन माह में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

गुलदार हमला

बागेश्वर ज़िले में कांडा तहसील के पतौजा गांव में कल देर रात गुलदार के हमले में 55 वर्षीय महिला घायल हो गई। महिला का इलाज ज़िला अस्पताल में किया जा रहा है। घटना कल देर रात करीब साढ़े नौ बजे की है। डॉक्टर नसीम ने बताया कि महिला को सिर और शरीर में गंभीर घाव हैं। उनकी टीम ने करीब दो घंटे तक महिला का इलाज किया और उनकी हालत अब स्थिर है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। निर्वतमान ग्राम प्रधान गोकुलानंद मिश्रा ने जिला प्रशासन से गांव में पिंजरा लगाने और पीड़ित परिवार को सहायता व मुआवजा देने की मांग की है। धरमघर में तैनात वन विभाग के रेंजर दीप चंद्र जोशी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुआवज़े की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही, गांव में ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे और टीम स्वयं मौके पर जाकर निगरानी करेगी। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और महिलाओं और बच्चों को रात में अकेले बाहर न निकलने की अपील की है।

आयकर विभाग

आयकर विभाग ने आयकर विधेयक–2025 में कर दरों में किसी बदलाव से इनकार किया है। प्रस्तावित विधेयक पर स्पष्टीकरण देते हुए विभाग ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना तथा अनावश्यक और पुराने प्रावधानों को हटाना है। मीडिया की ख़बरों में दावा किया गया था कि नया विधेयक कुछ श्रेणी के कर–दाताओं के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर–दरों में बदलाव करेगा। नया विधेयक इस वर्ष फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक कानून बन जाने पर मौजूदा आयकर अधिनियम–1961 का स्थान लेगा।